उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 2244–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2017–20–मा0सं0–01 / 2005 (टीसी–6) दिनाँक : 30 जून, 2017

कार्यालय ज्ञाप

निगम के का0ज्ञा0सं0 2480–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2016–20–मा0सं0–01 / 2005 (टीसी–6) दिनांक 22.08.2016 द्वारा चयन वर्ष 2006–07 तथा चयन वर्ष 2007–08 में नियुक्त सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 15 दिन में आपत्तियाँ आमन्त्रित की गयीं थीं।

2– चयन वर्ष 2007–08 की अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध सर्वश्री सीताराम, सन्त राम, हंसराज, बिनय कुमार, प्रेम शंकर, प्रेम कुमार, सुन्दरलाल अहिरवार तथा जगदीश प्रसाद, पदावनत सहायक अभियन्ताओं ने दिनांक 30.08.2016 द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रत्यावेदन में यह अभिकथित किया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0–3072–मा0सं0–03 / उनिलि / 2015–5 (II)–मा0सं0–03 / उनिलि / 2015 दिनांक 03.10.2015 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0 3170–मा0सं0–01 उनिलि / 2015 दिनांक 06.10.2015 के द्वारा उन्हें सहायक अभियन्ता पद से पदावनत कर दिया गया है। उक्त पदावनति के विरुद्ध उन्होंने दिनांक 22.01.2016 व दिनांक 16.02.2016 द्वारा प्रबन्ध निदेशक महोदय को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। निगम के पत्रांक सं0 888–मा0सं0–03 / उनिलि / 2016–5 मा0सं0–03 / 2015 दिनांक 22.04.2016 द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया गया है। उक्त पत्रांक द्वारा किया गया निस्तारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों / निर्देशों, उ0प्र0 शासन के शासनादेशों, निगमादेशों व विनियमावलियों के विपरीत, भ्रामक व तर्क विहीन होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 12.05.2016 को लिखित रूप से उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है। साथ ही साथ मा0 प्रमुख सचिव कार्मिक अनुभाग–2, एवं मा0 प्रमुख सचिव न्याय विभाग उ0प्र0 शासन से भी न्याय पूर्ण निर्णय हेतु अनुरोध किया जा चुका है। प्रत्यावेदन का निस्तारण शासन स्तर पर विचाराधीन है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि उनकी प्रोन्नति चयन वर्ष 2007–08 में निगम के आदेश सं0 2257–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2007 दिनांक 08.11.2007 के द्वारा हुई थी तथा पदावनत आदेश के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदनों का शासन स्तर पर निस्तारण नहीं हुआ है। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0 2480–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2016 दिनांक 22.08.2016 द्वारा चयन वर्ष 2007–08 की घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को स्थगित रखा जाय।

3– उपरोक्त अभिकथनों / आपत्तियों के सम्बन्ध में यह पाया गया कि निगम में दिनांक 02.11.2007 एवं 07.06.2008 को सम्पन्न चयन आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग कोटे के अन्तर्गत किया गया था तथा चयनित सहायक अभियन्ताओं के प्रोन्नति आदेश कार्यालय ज्ञाप सं0 2257–मा0सं0–01 / विउनिलि / 2007 दिनांक 08.11.2007 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 1452–मा0सं0–01 / विउनिलि / 2008 दिनांक 11.06.2008 द्वारा जारी किये गये थे। पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या–2608 / 2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0: 8 / 4 / 1 / 2002टी0सी0–1–का–2 / 2015, दिनांक 21–08–2015, जिसे उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से कार्यालय ज्ञाप सं0 : 1528 / मा0सं0प्र0–02 / उ0नि0लि0 / 2015 दिनांक 25.08.2015 द्वारा निगम की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया है तथा इस क्रम में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश सं0: 2202 / 24–पी–2–2015–सा0(130) / 15 टी0सी0–2 दिनांक 26.08.2015 तथा आदेश सं0: 2205 / 24–पी–2–2015 –सा0(130) / 15 टी0सी0–2 दिनांक 27–08–2015 के अनुपालन में जिन्हें "उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा–3(7) के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया था, को निगम के का0ज्ञा0सं0 3072–मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 2015 दिनांक 03.10.2015 तथा का0ज्ञा0सं0 3170–मा0सं0–01 / उ0नि0लि0 / 2015 दिनांक 06.10.2015 द्वारा अवर अभियन्ता पद पर पदावनत कर दिया गया था।

क्रमशः...........2 / –

Srivastava

इन पदावनत सहायक अभियन्ताओं ने पदावनति के विरुद्ध अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये, जिनका परीक्षण मानव संसाधन–03 अनुभाग द्वारा करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण का0ज्ञा0सं0–888–मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2016 दिनांक 22.04.2016 द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इन पदावनत सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची का0ज्ञा0सं0–3085–मा0सं0–03/ उ0नि0लि0/2015 दिनांक 05.10.2015 द्वारा भी घोषित की जा चुकी है। चूंकि उपरोक्त प्रत्यावेदनकर्ता अभी अवर अभियन्ता ही हैं, अतः चयन वर्ष 2007–08 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के साथ इनके नामों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आपत्ति प्रासंगिक न होने के कारण ग्राह्य नहीं पायी गयीं हैं और तद्नुसार आस्वीकृत की जाती हैं।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 2244 (1) मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2017–तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन तैनात सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर दें :–

1– मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झॉसी)।

2– मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद–नव परियोजनाएँ/आर0 एण्ड एम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– अध्यक्ष, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– अधिशासी अभियन्ता,(डाटाबेस), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

Srivastava

(सरिता श्रीवास्तव)

उपसचिव